न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 119/2015/ प्रा. पत्र माध्यस्थम्

हनुमान प्रसाद पुत्र धन्नाराम, जाति जाट, निवासी–ग्राम गोरियां, तहसील–दांतारामगढ़, जिला –सीकर

प्रार्थी/अपीलांट

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारा, परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52, रींगस सीकर खण्ड मु. विनायक विहार, झुन्झुनूं बाईपास, सीकर।
2. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, अपर जिला कलक्टर, सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़, जिला, सीकर।

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
(1) श्री दिनेश मंडीवाल, वकील अपीलान्ट की ओर से।
(2) श्री अभिनव जैन, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र विरूद्व आदेश दिनांक 01.08.2014 द्वारा
सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) सीकर

निर्णय

सुनवाई तिथिः 30 जनवरी, 2018 निर्णय दिनांकः 30जनवरी, 2018

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हनुमान प्रसाद पुत्र धन्नाराम, जाति जाट, निवासी–ग्राम गोरियां, तहसील–दांतारामगढ़, जिला–सीकर की ओर से वकील श्री दिनेश मंडीवाल द्वारा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी (अपर जिला कलक्टर) सीकर के आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया गया है किः–
   (1) एन. एच. 11 के 4/6 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु भूमि अवाप्ति प्रकिया में 3ए अधिसूचना में ग्राम गोरियां के खसरा नम्बर 136/307 रकबा 0.010 है. 136/310 रकबा 0.10 है. अधिसूचित किया गया जबकि काश्तकार अभिलेख

जमाबन्दी के मुताबिक यह रकबा खसरा नम्बर 136/307 रकबा 0.030 खसरा नम्बर 136/309 रकबा 0.05 है. खसरा नम्बर 136/310 रकबा 0.05 है. है। तहसीलदार दांतारामगढ़ व उपतहसीलदार पलसाना ने अधिसूचना 3ए का गलत मिलान किया तथा 3डी अधिसूचना हेतु 3ए व रिकॉर्ड की भिन्नता को नजर अन्दाज कर गलती की दुरूस्ती किये बिना ही टिप्पणी भिजवा दी गई। 3डी अधिसूचना में खसरा नम्बर 136/310 रकबा 0.10 है. ग्राम गोरियां का खातेदार हनुमान पुत्र धन्ना प्रकाशित किया गया जो कि राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत है।

(2) सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एडीएम सीकर द्वारा जारी अवार्ड आदेश ग्राम गोरियां 55–64–66 दिनांक 01.08.2014 के प्रकरण संख्या 74 में खसरा नम्बर 136/310, 136/309 रकबा 0.100 है. अंकित किया गया है, जो गलत है। खसरा नम्बर 136/309 अवार्ड ही नहीं किया गया है।

(3) प्रार्थी का पट्टाशुदा प्लॉट जो खसरा नम्बर 135 ग्राम गोरियां में रकबा 825 वर्गमीटर अवस्थित है, को खातेदार ग्राम पंचायत सुजावास में अंकित और दर्शित किया गया, उसके मुआवजे का भुगतान प्रार्थी को नहीं दिया गया है और न ही इसका कोई ब्याज बोनस दिया गया है।

(4) प्रार्थी ने भूमि खरीद का विक्रय पत्र व मिलान क्षेत्रफल की नकल वर्तमान खातेदारी के अभिलेख आदि शामिल कर भूमि अवाप्ति अधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की तथा आवासीय भूखण्ड में तोड़ फोड़ करने, पुख्ता [illegible] चार दीवारी हटा देने तथा मुझे केवल 0.11 है. का ही मुआवजा मिल सकने की सम्भावना जाहिर की।

(5) प्रार्थी की खरीदशुदा पंजीकृत विक्रय पत्र [illegible] खसरा नम्बर 136 की भूमि कुल रकबा 0.29 है. जिसका माप समस्त मौतबिरान सरपंच ग्राम सुजावास व श्यामपुरा पटवारी हल्का की उपस्थिति में पूर्व उप तहसीलदार पलसाना श्री महिपाल सिंह शेखावत ने किया था, को सम्पूर्ण ही बिना अवार्ड आदेश पारित किये बिना कोई मुआवजा दिये एनएच 11 में प्रयुक्त किया गया तथा अब केवल 0.11 है. का प्रतिकर भुगतान कर शेष 0.18 है. पर अतिक्रमण कर भूमि अवाप्ति अधिकारी (ADM) सीकर व परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग रींगस सीकर खण्ड ने NH-11 का सड़क निर्माण कर लिया।

(6) अवार्ड पारित करने के लिए प्रतिकर का आधार डी.एल.सी. दर 2010 माना गया है, जबकि अवार्ड आदेश पारित किये जाने की दिनांक 01.08.2014 को इन दरो में संशोधन हो चुका था एवं तदनुसार पंजीकरण भी जारी कर मुआवजा भुगतान होने की तिथि को तो भूमि अधिग्रहण नियमन भी संशोधन हो चुका था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(7) प्रार्थी की भूमि बिना अधिग्रहण की गई जिसको एनएचएआई ने सड़क कार्य में प्रयुक्त कर लिया गया है, को वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 सपठित रा. रा. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1956 के अनुसार कर मुझे भूमि का वर्तमान दर से मुआवजा दिलाया जावे।

(8) प्रार्थी के पास अब अन्य कोई भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यिक नहीं बची है। इस अवाप्ति के पश्चात बेघर हो चुका है। अतः अन्यत्र पुर्नवासित किया जावे। तथा मेरे परिवार के एक सदस्य को परिवार की आजीविका चलाने हेतु सरकारी नौकरी दिलवाई जावे। अन्यत्र अपना सामान लाने ले जाने हेतु यातायात एवं टुट फुट का क्षति पूर्ति भत्ता दिलाया जावे।

अतः प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का बिना कोई अवार्ड पारित किये व बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 में खसरा नम्बर 136 का रकबा 0.18 है. का मुआवजा अधिग्रहण नियमों के अन्तर्गत वर्तमान दर से दिलाया जावे।

3. प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अभिनव जैन उपस्थित आये व जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।

4. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि:–

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 09.12.2010 को व धारा 3डी के तहत दिनांक 11.11.2011 को जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार याचिका में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 136/307 रकबा 0.010 है. (100 वर्गमीटर) एवं 136/210 रकबा 0.10 है. (1000 वर्गमीटर) वाकै ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ अवाप्त की गई है, जिसकी किस्म राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि है। एन. एच. 11 के 4/6 लेन चौड़ीकरण के कार्य हेतु खसरा नम्बर 136/307 में से 0.010 हैक्टेयर भूमि की ही आवश्यकता होने के कारण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 136/307 में 0.010 है. भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गई व उक्त खसरा में से 0.010 है. भूमि ही अवाप्त की गई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 136/309 एवं 136/310 की कुल 0.10 है. भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए व 3डी जारी की जाकर समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई है। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नम्बर 136/310 के साथ 136/309 अंकित होने से छूट गया है, जिससे प्रार्थी का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। प्रार्थी को यह भली भांति

ज्ञान है कि खसरा नम्बर 136/309 रकबा 0.05 है. अवाप्त की गई है, जिनका कुल रकबा 0.10 है. होता है तथा जो मुआवजे का अवार्ड पारित किया गया है, उसमें खसरा नम्बर 136/309 एवं 136/310 निजी गै. मु. आबादी रकबा 0.100 है. जिसके 1000 वर्गमीटर है, का मुआवजा आवासीय दर 1315.11/— रूपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 13,15,110/— रूपये एवं उस पर 10 प्रतिशत वृद्वि कर 14,46,621/— रूपये एवं उक्त अवाप्तशुदा जमीन पर अधिकृत मुल्यांकन कर्त्ता द्वारा निर्माण की क्षतिपूर्ति राशि 31,757/— रूपये जोड़कर कुल 14,78,378/— रूपये का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी के यहा जमा करा दिया गया है, जिसे प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना का प्रकाशन अधिनियम की धारा 3सी(3) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात सक्षम प्राधकारी द्वारा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देने के पश्चात जारी की गई है।

(iii) 3ए की अधिसूचना के अन्तर्गत अवाप्तधीन भूमि पर बने भवन/मकान, निर्माण, कुएं, वृक्ष व अन्य स्ट्रेचर जिस रूप में स्थित हैं तथा पक्का/स्थाई का मूल्यांकन राशि निर्धारण करने के लिए वैल्युवर डिजाईन सोल्युशन को अधिकृत किया गया व हितबद्व पक्षकारों को समुचित अवसर उपलब्ध करवाते हुए सुना गया और मौका भी दिखाया गया, जिसके पश्चात रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई।

(iv) प्रार्थी को 1315.11/— रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से जो मुआवजे का भुगतान किया गया है वह भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रचलित डीएलसी दर को आधार बनाकर प्रार्थी की भूमि की किस्म गै. मु. आबादी (आवासीय) के आधार पर निर्धारित किया है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि की किस्म गैर मु. वाणिज्यिक में परिवर्तित नहीं करवाया है और न ही उसमें कोई वाणिज्यिक गतिविधि संचालित थी। अधिनियम की धारा 3G की उपधारा 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत सुखाचार राशि ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त 31,757/— रूपये कुल 14,78,378/— रूपये का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3H(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी के यहां जमा करवा दिया गया है, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा प्राप्त भी कर लिया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(v) प्रतिकर की दर का निर्धारण ग्राम गोरियां में एनएच 11 पर अवस्थित भूमि की डीएलसी दरों की सूचना, उपपंजीयक सीकर द्वारा निम्न प्रकार से होना अंकित है:–

तालिका में दरें रूपये प्रति वर्गमीटर में दी गई हैं:–				
ग्राम का नाम	चाही/बारानी सिंचित	बारानी	संपरिवर्तित आवासीय	संपरिवर्तित वाणिज्य
गोरियां	**257.76**	**196.08**	**1315.11**	**8966.66**

सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारों के हक में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मुआवजा निर्धारण किया जा चुका है। तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) 7(A) के अनुसार उचित मूल्यांकन करते हुए अवार्ड जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

(vi)सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिसूचना के उपरान्त 21 दिन का समय दिया गया। इसके बाद आपत्तियों का विधिपूर्वक निस्तारण कर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है एवं इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा हाईवे पर स्थित भूमि के रूपान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.02.2005 व 20.11.2004 के अनुसार व्यावसायिक भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर एवं औद्योगिक भूमि 100 मीटर छोड़कर ही रूपान्तरण किये जाने का प्रावधान है। इसके विरूद्व यदि कोई रूपान्तरण किया भी गया हो तो वह विधि विरूद्व होकर गैरकानूनी माना जाना चाहिए। अतः जवाब प्रति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा. पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एडीएम सीकर द्वारा जारी अवार्ड आदेश ग्राम गोरियां 55–64–66 दिनांक 01.08.2014 के प्रकरण संख्या 74 में खसरा नम्बर 136/310, 136/309 रकबा 0.100 है. अंकित किया गया है, जो गलत है। खसरा नम्बर 136/309 अवाप्त ही नहीं किया गया है। प्रार्थी का पट्टाशुदा प्लॉट जो खसरा नम्बर 135 ग्राम गोरियां में रकबा 825 वर्गमीटर अवस्थित है, को खातेदार ग्राम पंचायत सुजावास में अंकित और दर्शित किया गया, उसके मुआवजे का भुगतान प्रार्थी को नहीं दिया गया है और न ही इसका कोई ब्याज बोनस दिया गया है। उक्त भूमि सम्पूर्ण ही बिना अवार्ड आदेश पारित किये बिना कोई मुआवजा दिये एनएच 11 में प्रयुक्त किया गया तथा अब

केवल 0.11 है. का प्रतिकर भुगतान कर शेष 0.18 है. पर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण कर लिया। अतः प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का बिना कोई अवार्ड पारित किये व बिना मुआवजा दिये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 में खसरा नम्बर 136 का रकबा 0.18 है. का मुआवजा अधिग्रहण नियमों के अन्तर्गत वर्तमान दर से दिलाया जाना प्रार्थनीय है।

7. अप्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 136/309 एवं 136/310 की कुल 0.10 है. भूमि की अप्राप्ति की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए व 3डी जारी की जाकर समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई है। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नम्बर 136/310 के साथ 136/309 अंकित होने से छूट गया है, जिससे प्रार्थी का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थी को यह भली भांति ज्ञान है कि खसरा नम्बर 136/309 रकबा 0.10 है. अवाप्त की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त सर्वे रिपोर्ट का विधिवत निरीक्षण कर समस्त आपत्तियों पर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात अवार्ड आदेश नियमानुसार पास किया गया है। अधिसूचना धारा 3ए के प्रकाशन के पूर्व में भूमि जिस रूप में उपयोग व राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है उसी के अनुसार अवार्ड पास किया गया है जो पूर्णतया सही और दुरूस्त है। अतः प्रा. पत्र माध्यस्थम् खारिज फरमाने का श्रम करें।

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। मेरे उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि:–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत राजमार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवरण प्रकाशित किया जाता है। इस के तहत 21 दिन में आपत्तियां प्राप्त कर उनके निस्तारण का प्रावधान है, इसके पश्चात 3डी का निर्णय हो जाने पर 3जी के तहत अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

(2) पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को चौडा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 09.10.2010 को अधिसूचना जारी की गई। जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18.01.2011 को प्रकाशित की गई। इसके पश्चात 3–डी की अधिसूचना दिनांक 11.11.2011 के जारी की गई।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 09.12.2010 की अनुसूची में खसरा नम्बर 136/307 रकबा 0.010 है. किस्म भूमि निजी कृषि तथा खसरा नम्बर 136/310 रकबा 0.100 है. किस्म भूमि निजी कृषि अंकित है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अखबार में संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.07.2011, प्रकाशन दिनांक 6.08.2011 की अनुसूची में खसरा नम्बर 136/307 रकबा 0.010 है. किस्म भूमि निजी कृषि तथा खसरा नम्बर 136/210 रकबा 0.100 है. किस्म भूमि निजी कृषि अंकित है।

(4) न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन. एच. 11 जिला सीकर रींगस सीकर खण्ड अपर जिला कलक्टर, सीकर के अवार्ड आदेश दिनांक 01.08. 2014 की अनुसूची क्रमांक 74 पर खसरा नम्बर 136/310 तथा खसरा नम्बर 136/309 रकबा 0.100 है. किस्म भूमि गै. मु. आबादी अंकित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम गोरियां, पटवार हल्का श्यामपुरा, अभि. नि. क्षेत्र पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के अनुसार खसरा संख्या 136/307 क्षैत्रफल 0.300 है., खसरा संख्या 136/309 क्षैत्रफल 0.050 है तथा खसरा संख्या 136/310 क्षैत्रफल 0.050 है. किस्म भूमि गै. मु. आबादी दर्ज है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(5) प्रतिकर की दर का निर्धारण ग्राम गोरियां से एनएच 11 पर अवस्थित भूमि की डीएलसी दरों की सूचना, उपपंजीयक सीकर द्वारा निम्न प्रकार से होना अंकित है:—

तालिका में दरें रूपये प्रति वर्गमीटर में दी गई हैं:—				
ग्राम का नाम	चाही/बारानी सिंचित	बारानी	संपरिवर्तित आवासीय	संपरिवर्तित वाणिज्य
गोरियां	**257.76**	**196.08**	**1315.11**	**8966.66**

(6) 3ए का प्रकाशन वर्ष 2010 में होने के कारण प्रतिकर का निर्धारण वर्ष 2010 की डीएलसी दर से किया गया है, जो उचित है।

(7) ग्राम गोरियां की खसरा नम्बर 135 की समस्त भूमि गै. मु. आबादी राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत सुजावास के नाम अंकित है, जिसमें से 0.17 है. भूमि अवाप्त की गई। ग्राम गोरियां के खसरा नम्बर 135 में प्रार्थी के नाम दर्ज कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(8) प्रार्थी ने जो पट्टाशुदा प्लॉट खसरा नम्बर 135 ग्राम गोरियां में रकबा 825 वर्गमीटर का मुआवजा चाहा गया है, उसके संदर्भ में भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भूमि का मुआवजा ग्राम पंचायत सुजावास एवं निर्माण आदि का मुआवजा अपीलांट को दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इसका अनुतोष चाहने का अधिकारी नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अपर जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.08.2014 अवाप्त की गई भूमि खसरा नम्बर 136/307 में से 0.01 है., 136/309 रकबा 0.05 है. एवं खसरा नम्बर 136/310 रकबा 0.05 है. कुल किता 3 रकबा 0.11 है. भूमि का मुआवजा अपीलान्ट को प्रदान किया है। यद्यपि 3ए व 3डी की अधिसूचना में खसरा नम्बर 136/309 व 136/210 का नाम केवल 136/309 ही अंकित किया गया किन्तु दोनों का कुल रकबा क्षेत्रफल 0.100 है. सही प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना पश्चात आपत्तियां प्राप्त कर उस आधार पर निस्तारण करते हुए 3जी अवार्ड दिनांक 01.08.2014 में कम संख्या 74 पर खसरे का विवरण खसरा नम्बर 136/309 व 136/310 अंकित करते हुए, रकबा 0.100 है., किसम गै. मु. आबादी अंकित किया है, एवं तदनुसार अवार्ड पारित किया है।

10. अपीलान्ट इसके अतिरिक्त और कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकरी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रा. पत्र माध्यस्थम् सारहीन होने से **खारिज** किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांकः 30 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official